

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की अद्यतन स्थिति माह 08/2021

क्रमांक	वादों की स्थिति	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	मा0 श्रम न्यायालय	अन्य	योग	अवमाननावाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुल लम्बित वाद	86	3796	512	400	1961	6755	365
2	प्रतिशपथ पत्र दाखिल	63	3463	490	378	1881	6275	348
3	कुल अवशेष वाद	23	333	22	22	80	480	17
4	आवश्यकता नहीं	19	149	0	2	45	215	1
5	अवशेष वाद	4	184	22	20	35	265	16

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि0 प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिशाली अभियन्ता (वि0 प्र0)

(राजेश मिश्रा)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

	योग	60	51	4	5	2511	2299	138	74	394	374	20	0	317	296	19	2	1804	1747	34	23
	यांत्रिक संगठन																				
27	मु0अ0,नलकूप वाराणसी	4	4	0	-	339	316	21	2	20	20	0	0	17	17	0	-	43	41	0	2
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	6	6	0	0	310	298	8	4	30	30	0	-	9	9	-	-	39	38	1	-
29	मु0अ0,नलकूप मध्य, लखनऊ	0	0	-	-	238	233	5	-	25	25	0	-	13	13	-	-	12	12	0	-
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	4	2	0	2	287	240	7	40	35	34	1	-	25	24	1	-	54	35	0	19
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	12	0	-	12	111	77	5	29	8	7	1	-	19	19	0	0	9	8	0	1
	योग	26	12	0	14	1285	1164	46	75	118	116	2	0	83	82	1	0	157	134	1	22
	महायोग	86	63	4	19	3796	3463	184	149	512	490	22	0	400	378	20	2	1961	1881	35	45

कुल लम्बित वाद - 6755

प्रतिशपथ दाखिल- 6275

अवशेष

- 265

आवश्यकता

नहीं- 215

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि0प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिसासी अभियन्ता (वि0 प्र0)

(राजेश मिश्रा)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

20	मु0अ0, जल संसाधन, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मु0अ0, अनु0 एवं नियो0, अयोध्या	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	मु0अ0,अनु0 एवं नियो0,(बाढ) लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0सं0 लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	-	-	-	-	0	-	0	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	मु0अ0,राज्य अभियन्त्रण अकादमी.ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	0	0	0	0	177	169	7	1	46	40	6	0	2	2	0	0	13	13	0	0
	यांत्रिक संगठन																				
27	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	-	-	-	-	34	33	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0, नलकूप मध्य, लखनऊ	-	-	-	-	19	19	0	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	मु0अ0, नलकूप वाराणसी	-	-	-	-	30	30	0	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	-	-	-	-	18	18	0	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	-	-	-	-	12	12	0	-	3	1	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	0	0	0	0	113	112	1	0	14	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग	0	0	0	0	290	281	8	1	60	52	8	0	2	2	0	0	13	13	0	0

कुल लम्बित वाद - 365

प्रतिशपथ दाखिल- 348

अवशेष

- 16

आवश्यकता

नही- 1

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि0प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिशासी अभियन्ता (वि0प्र0)

(राजेश मिश्रा)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

(के0 बी0 लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित अन्तिम/अनन्तिम आदेशों के अनुपालन की स्थिति माह 08-2021

क्र०सं०	संगठन का नाम	कुल लम्बित वाद	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अन्तिम/अनन्तिम आदेश पारित किये गये।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अन्तिम/अनन्तिम आदेशों का अनुपालन कर दिया गया है।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अन्तिम/अनन्तिम आदेशों का अनुपालन किया जाना शेष है।	वादों जिनमें अनुपालन शेष है।					वादों की संख्या जिनमें शासन से प्रतिवाद की अनुमति अपेक्षित है।	वादों की संख्या जिनमें प्रतिवाद अनुमति हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित नहीं है।
						जिनमें रिट्यू/स्पेशल अपील मा० उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है।	जिनमें एस०एल०पी० दायर है।	वाद जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।	वाद जिनमें याची का प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु लम्बित है।			
									विभाग स्तर पर	शासन स्तर पर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मु०अ०शारदा सहा० लखनऊ	153	126	126	27	21	0	-	4	2	-	-
2	मु०अ०, सोन, वाराणसी	769	51	40	11	0	-	0	4	3	-	-
3	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	22	22	20	2	-	-	-	-	-	-	-
4	मु०अ०, गंगा, मेरठ	434	51	42	9	1	0	-	3	5	0	-
5	मु०अ०, शारदा, बरेली	122	48	18	30	0	-	-	0	0	-	-
6	मु०अ०, सरयू-1, अयोध्या	37	13	6	1	5	1	-	-	0	1	1
7	मु०अ०, यमुना ओखला नई दिल्ली	384	18	18	0	10	9	-	2	4	2	2
8	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	424	28	21	7	-	-	-	-	-	-	-
9	मु०अ०, परि०बेतवा, झांसी	3	3	2	1	-	-	1	-	1	-	-
10	मु०अ०, मध्य गंगा, अलीगढ़	226	6	1	5	-	-	0	-	-	-	-
11	मु०अ०, बेतवा, झांसी	14	14	14	0	-	-	-	-	-	-	-
12	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	51	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-
13	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	8	3	2	6	3	-	-	1	-	-	-
14	मु०अ०, बाणसागर, प्रयागराज	3	3	1	0	-	2	-	-	-	1	-
15	मु०अ०कनहर, मिर्जापुर	35	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	50	3	48	-	-	-	-	-	0	1	-
17	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
18	मु०अ०, जल संसाधन, लखनऊ	58	8	5	1	1	1	-	-	-	-	-
19	मु०अ०, अनु० एवं सम० वा० सहा० लखनऊ	20	0	20	-	-	-	-	-	-	-	-
20	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, अलीगढ़	20	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, अयोध्या	7	7	7	0	0	-	-	-	-	-	-
22	मु०अ०, अनु० एवं नियो० (बाद), लखनऊ	6	6	6	0	-	-	-	-	-	-	-
23	नि०उ० प्र० जल एवं भू० प्र० सं० लखनऊ	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मु०अ०, आई० एस० आ०, लखनऊ	1	1	0	1	-	-	-	-	1	-	-

25	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	6	0	4	0	0	0	0	0	-	-
26	मु0अ0,राज्य अभियन्त्रण अकादमी.ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	333	315	305	10	9	2	-	3	2	0
28	मु0अ0,नलकूप वाराणसी	423	56	21	35	31	0	0	3	0	1
29	मु0अ0,नलकूप मध्य, लखनऊ	411	130	91	39	37	0	0	2	0	0
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	405	48	19	29	18	1	8	1	1	0
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	159	52	4	44	31	12	1	3	1	1
	योग	4590	1015	844	259	167	29	10	26	20	7

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि0प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिसासी अभियन्ता (वि0 प्र0)

(राजेश मिश्रा)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

न्यायालयवार अवमाननावादों का विवरण जिसमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया है। माह 08-2021

क्रम संख्या	संगठन का नाम	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	श्रम न्यायालय	अन्य न्यायालय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मु0अ0, बाणसागर, प्रयागराज	0	1	0	0	0	1
2	मु0 अ0 (यमुना) ओखला	0	1	0	0	0	1
3	मु0अ0, (परिकल्प) लखनऊ	0	1	0	0	0	1
4	मु0अ0(अग्रिम नियोजन)लखनऊ	0	2	2	0	0	4
5	मु0अ0 (बेतवा) झांसी	0	2	0	0	0	2
6	मु0 अ0 (नलकूप पूर्व) अयोध्या	0	1	0	0	0	1
7	मु0अ0 (अनु0 एवं मूल्या) लखनऊ	0	0	1	0	0	1
8	मु0अ0, शारदा सहायक, लखनऊ	0	0	1	0	0	1
9	मु0अ0 (परियोजना बेतवा) झांसी	0	0	1	0	0	1
10	मु0अ0, (सरयू-2) गोण्डा	0	0	1	0	0	1
11	मु0 अ0 (सज्जा एवं सामग्री) लखनऊ	0	0	2	0	0	2
	योग	0	8	8	0	0	16

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि0 प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिशाली अभियन्ता (वि0प्र0)

(राजेश मिश्रा)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

(के0 बी0 लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 08/2021 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

क्रम संख्या	मण्डल खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद नाम	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज									

01	बासाननिखं-1, प्रयागराज	2245/2019	शालिनी यादव व अन्य	श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, सचिव उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ	11039/2018	रिट याचिका संख्या- 11039/2018 में दिनांक- 16-01-2020 को पारित आदेश का अनुपालन न किये जाने पर अवमाननावाद दाखिल किया गया है।	-	रिट याचिका संख्या- 11039/2018 में दिनांक-16-01-2020 को पारित आदेश का अनुपालन न किये जाने पर अवमाननावाद दाखिल किया गया है। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक- 2392/(1)ई-7/दिनांक-25-09-2019 के द्वारा मा0 न्यायालय के पारित आदेश की अनुपालना कर दी गयी है। मा0 न्यायालय को अनुपालना से अवगत कराने हेतु मुख्य स्थायी अधिवक्ता के फाइल (अवमाननावाद संख्या-2245/2019 शालिनी यादव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य) में रख दिया गया है। सुनवाई तिथि को स्थायी अधिवक्ता द्वारा मा0 न्यायालय को अवगत करा दिया जायेगा। सम्भावित तिथि case is not on list उच्चाधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन आख्या मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है।	-
----	------------------------	-----------	--------------------	---	------------	--	---	--	---

मुख्य अभियन्ता (यमुना) ओखला।

02	सिंचाई खण्ड बड़ौत बागपत	1484 / 2019 मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	श्रीमति विनय कुमारी	उत्तर प्रदेश सरकार	48406 / 2019	Considering the facts and circumstances, noticed above, this writ petition stands disposed, permitting the petitioner to approach respondent no.2 with regard to her grievance, noticed above, alongwith certified copy of this order within a period of two weeks from today. The authority concerned shall examine the petitioner?s claim for release of family pension, in accordance with law within a	प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।	श्री शक्ति कुमार, भण्डार पाल का सेवा निवृत्ति पूर्व पत्नि के साथ मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में तलाक हेतु वाद चल रहा था, परन्तु श्री शक्ति कुमार ने अपनी अधिवर्षता आयु 30.09.2006 को पूर्ण होने के उपरान्त सेवा निवृत्त होने पर पेंशन प्रपत्र के देयक भुगतान के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गये पारिवारिक घोषणा पत्र में श्रीमति विनय कुमारी का नाम दर्शाते हुए दिनांक 01.11.1990 से मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में संबंध विच्छेद का वाद विचाराधीन होना अंकित करते हुए पारिवारिक पेंशन में पत्नी के स्थान पर पुत्र को पेंशन प्रपत्र भाग-1 प नामित	
----	-------------------------	---	---------------------	--------------------	--------------	--	---	---	--

						<p>further period of three months thereafter. It goes without saying that in case there was no severance of matrimonial relationship between petitioner and the deceased employee, she would not be denied benefit of family pension only on account of matrimonial dispute, in view of the fact that the divorce petition has already been dismissed and such order has been affirmed by this Court.</p>		<p>किया गया था। दिनांक 15.02.2008 को याची के पक्ष में निर्णय पारित किया है। श्रीमति विनय कुमारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में श्री शक्ति कुमार, भण्डारपाल की मृत्यु उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के पारित निर्णय के आधार पर वाद योजित किया गया, जिसका निर्णय ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण खण्ड के विघटन हो जाने के कारण, नवसृजित खण्ड सिंचाई खण्ड बड़ौत में देरी से प्राप्त हुए जिस कारण अवमाननावाद दायर हुआ। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की कार्यवाही की जा रही है।</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

03	निदेशक, केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, लखनऊ/समन्वयकारी एवं जाँच खण्ड, लखनऊ	741/2020	बलराम, वर्क सुपरवाइजर	कुँ उपेन्द्र नाथ निदेशक, के0प0नि0, लखनऊ।	1964/1993	रिट याचिका संख्या-1964/एस0एस0/1993 में दिनांक-30-07-2019 को मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न होने पर अवमाननावाद दाखिल किया गया।	शासकीय अनिमति हेतु प्रकरण सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-7, में विचाराधीन	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (कार्यप्रभारित अधिष्ठान प्रकोष्ठ) गंगा सिंचाई भवन तेलीबाग लखनऊ के पत्रांक-444/का0प्र0अ0प्र0/कोर्टकेस, दिनांक-27-02-2021 के द्वारा अवमाननावाद पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु शासकीय अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रकरण सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-7, में विचाराधीन है। शासकीय अनुमति मिलने पर अमाननावाद संख्या-741/2020 पर प्रतिशपथ पत्र मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं है।
----	---	----------	-----------------------	--	-----------	--	--	---

मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

04	अनु0 एवं नियो0	552/2020	शुभा सिंह	श्री विजय कुमार बसेडिया मुख्य अभियन्ता	रि0या0सं0-2473/एस0एस0/2016	मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-05-02-2016 के	अनुपालन शेष है। प्रतिशपथ	पिछली सुनवाई की तिथि-25-02-2020 निर्धारित थी अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं है। विवाहित पुत्री
----	----------------	----------	-----------	--	----------------------------	---	--------------------------	--

	मण्डल-4, लखनऊ					अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।	-पत्र की आवश्यकता नहीं।	को मृतक आश्रित के अन्तर्गत सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (कार्मक-4/6) द्वारा शासन से शासकीय आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया जा रहा है। अनुपालन किया जाना प्रक्रियाधीन है।	
05	अनु0 एवं नियो0 मण्डल-4, लखनऊ	1648/2020	कपिल किशोर लाल	श्री जितेन्द्र सिंह कन्नौजिया	रि0या0सं0-6190/एस0एस0/2020	-	अनुपालन आख्या स्थायी अधिवक्ता को प्रेषित कर दी गयी है।	याची श्री कपिल किशोर लाल, एकाउण्टेन्ट के देयको के सम्बन्ध में। पिछली सुनवाई की तिथि 01-12-2020 निर्धारित थी। अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं।	

मुख्य अभियन्ता (बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।

06		786/2021	श्री विशम्भर अधि0 अभि0 (निलम्बित)	श्री टी0 वैकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य	7969/ए/2021	आदेश की प्रति संलग्न है।	-	शून्य	
07		903/2021	श्री दिनेश सचान, अधि0 अभि0 (निलम्बित)	श्री टी0 वैकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य	6700/एस0एस0/2021	आदेश की प्रति संलग्न है।	-	-	

मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) अयोध्या।

08	नलकूप खण्ड-2, दे, सलेमपुर	1407/2021	श्री कामेश्वर सिंह, से0नि0, नलकूप चालक	टी0 वेकटेश, अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ	22869/एस0 एस0/2020	Without commenting upon the merits of the case, the petitioner is directed to move a fresh detailed representation alongwith a copy of the instant writ petition as well as a copy of this order before respondent no.1/Additional Chief Secretary, Department of Irrigation, Civil Secretariat, Government of U.P., Lucknow within 15 days from today. Upon receipt of the said representation, the respondent no.1 shall consider and decide the same in accordance with law expeditiously, preferably within three months. With the aforesaid directions, the instant petition is disposed of. Order Date :- 10.12.2020	-	प्रतिवादी की नियुक्ति तिथि दिनांक- 25-04-1996 से नियमित तिथि दिनांक-20-09-2008 से पूर्व की सेवाओ को जोड़ते हुए पेंशन प्राप्त करने हेतु वाद दाखिल है, जिसमें दिनांक-10-12-2020 को आदेश पारित हुआ। जिसका अनुपालन न होने के कारण अवमाननावाद दायर है।
----	---------------------------------	-----------	--	---	-----------------------	--	---	---

मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं मूल्या0) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

09	मूल नियन्त्रण प्रकोष्ठ, लखनऊ	285/2019	सोहन लाल सिंह, अवर अभियन्ता	श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियन्ता श्री रंजनलाल मिश्रा, पेंशन निदेशालयसिंचाई	निर्देश याचिका सं0-544/2017	सेवा जोड़ा जाना एवं तदर्थ लाभ दिया जाना	-	कार्यवाही की जा चुकी है।	-
----	------------------------------	----------	-----------------------------	--	-----------------------------	---	---	--------------------------	---

मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

10	बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर बाराबंकी	133/सी/2019	श्री साबिर अली	श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव सिंचाई	निर्देश याचिका सं0-773/2014	निर्णय दिनांक-20-04-2019 का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में।	-	विधिक कार्यवाही की जा रही है।	-
----	-------------------------------------	-------------	----------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------	---

मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा) झांसी।

11	मौ0वां,नि0 खं0-1 महोबा	312/2019	श्री महेन्द्र सिंह	टी0 वेंकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई	1923/ 2017	After appreciating each and every aspects of the matter i am of the considered opinion that the judgment and order under reference erroncous and the same may be challenged before te hon'ble High Court in writ petition under articale 226 of the constitution of India for which the matter may be referred to the Law		श्री महेन्द्र सिंह द्वारा वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में अनेकों रिट मा0 लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में दायर की गयी, जिसमें दिनांक 16-10-2017 को न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में दिये गये निर्णय से याचीकर्ता श्री महेन्द्र सिंह असंतुष्ट रहे तथा उनके द्वारा पुनः निर्देश याचिका संख्या-1923/2017 योजित की गयी। उक्त वाद में अधि अभि0 मौ0वां0नि0ख0-प्रथम, महोबा ने पैरोकारी करते हुये लिखिल विवेचन/प्रतिशपथ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के माध्यम से मा0 लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक-28-03-2019 को याचीकर्ता श्री महेन्द्र सिंह के पक्ष में मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध रिट याचिका योजित की जानी है अथवा नही के सम्बन्ध में मुख्य	
----	------------------------	----------	--------------------	---------------------------------	------------	---	--	--	--

						<p>department for necessary permission with the reasonable explanation regarding the caused in filling of the wirt petition न्याय विभाग की विधिक राय न प्राप्त होने के कारण प्रतिशपथ पत्र नहीं दाखिल हो सका कार्यवाही प्रगति में है।</p>		<p>स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ से परामर्श लेने हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया गया। मा0 न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने से पूर्व उक्त रिट याचिका पर अनुपालना न होने के कारण अवमाननावाद सं0-312/2019 श्री टी0 वेंकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, योजित हुआ। अवमाननावाद में शासन स्तर से न्याय विभाग द्वारा उक्त के क्रम में कतिपय संविधायें की गयी है। जिसकी कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रिया में है। पिछली सुनवाई की तिथि 07-09-2021 निर्धारित थी।</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

मुख्य अभियन्ता (सरयू-2) गोण्डा ।

12	सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा	118/2014	गिरधर गोपाल	श्री दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	1391/2010	<p>श्रम न्यायालय द्वारा वादी कर्मचारी श्री प्रमोद कुमार तिवारी को रू0-116291.00 के भुगतान का आदेश दिया गया है। उक्त के क्रम में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा कटौती की राशि तथा 08 प्रतिशत ब्याज के भुगतान के आदेश दिये गये है। अनुपालन न होने के कारण तत्क्रम में वादी द्वारा अवमाननावाद योजित किया गया है।</p>	-	<p>वादी से वसूली की गयी धनराशि रू0-116291.00 में से उनके अंश रू0-31841.00 की धनराशि की वसूली का समायोजन करते हुए शेष धनराशि का 08 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान सर्वेक्षण अनुसंधान लखनऊ द्वारा किया जाना है। ब्याज के भुगतान हेतु शासन से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। तथा भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है। शेष धनराशि रू0- 84450.00 का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है। अग्रिम तिथि निर्धारित नहीं है।</p>
----	-------------------------	----------	-------------	------------------------------------	-----------	---	---	---

मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) लखनऊ।

13	अनु0 एवं नियो0 मण्डल- 4,लखनऊ	188/2016	सुशील कुमार जिन्दल	श्री सुरेश चन्द्रा व अन्य	निर्देश याचिका संख्या- 788/2004	-	अनुपालन शेष है।	याची से0 नि0 मुख्य अभियन्ता के उपादान, पेंशन एवं राशिकरण के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज से सम्बन्धित है 09 प्रतिशत ब्याज के भुगतान अनुमति हेतु शासन स्तर से वित्त विभाग को पत्रावली प्रेषित की जा चुकी है। पिछली सुनवाई की तिथि दिनांक-23-08-2021 निर्धारित थी
14	अनु0 एवं नियो0 मण्डल- 4,लखनऊ	95/2021	के0पी0 भारती	टी0 वेंकटेश अपर मुख्य सचिव, सिंचाई	निर्देश याचिका संख्या- 898/2018	मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-09-02-2021 का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुपालन शेष है।	यायी से0नि0 मुख्य अभियन्ता के तृतीय ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में पिछली सुनवाई की तिथि 12-08- 2021 निर्धारित थी। अगली सुनवाई की तिथि 14-09-2021 निर्धारित है।

मुख्य अभियन्ता (सजा एवं सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ।

15	सामग्री प्रबन्ध प्रकोष्ठ के अन्तर्गत परियोजना भण्डार खण्ड, कानपुर	सी0पी0 414/2019	श्री शेष नरायण त्रिपाठी अधी0 अभि0 से0 नि0,	श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य	मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा रिट याचिका सं0- 1218/2017 में पारित आदेश दिनांक-05-09- 2019 के अनुसार याची को सेवानिवृत्तिक लाभों के बकाये की धनराशि रू0- 6,62,367.00 एवं अवकाश नकदीकरण के बकाये की धनराशि रू0- 75,160,00 पर दिनांक- 14-12-2011 से दिनांक- 14-02-2017 तक की अवधि हेतु वादी को 8.5 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देने का आदेश पारित है।		याची को भुगतान की जाने वाली धनराशि वित्त नियंत्रण द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन से स्वीकृति हेतु अपेक्षित है। प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।	अनु0-1
----	--	--------------------	--	--	---	--	---	--------

16	केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, यूनिट-3	1562/2012	लेखराम	उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य	रिट याचिका संख्या- 130/2021 लेखराम बनाम टी0 वेंकटेश व अन्य	अगली सुनवाई की तिथि 14-09-2021 है।	दाखिल किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियान्त र्गत है	वाद संख्या-1562/2012 लेखराम बनाम उ0 प्र0 सरकार में अवमाननावाद रिट याचिका संख्या- 130/2021 लेखराम बनाम टी0 वेंकटेश व अन्य मा0 न्यायालय में योजित हुई, जिसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक-380/सज्जा- 1/यूनिट-3, दिनांक-21-08-2021 द्वारा अवमाननावाद के प्रतिवाद की शासकीय अनुमति हेतु सक्षम स्तर को पत्राचार किया गया है। शासकीय अनुमति प्राप्त होते ही प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिय जायेगा इसकी अगली सुनवाई की तिथि 14-09-2021 है।
----	---	-----------	--------	------------------------------	--	---------------------------------------	--	--

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि0प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिशायी अभियन्ता (वि0प्र0)

(राजेश मिश्रा)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

अद्यतन मासिक सूचना अगस्त, 2021

विभाग का नाम- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

क्र0 सं0	माह जनवरी 2012 से माह अगस्त 2021 तक उच्च न्यायालय में योजित (लम्बित) वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह अगस्त 2021 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष है।			अभियुक्ति
	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1472	1106	2578	1355	988	2343	88	53	141	29 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 65 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 29+65 = 94

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि0 प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिशायी अभियन्ता (वि0 प्र0)

(राजेश मिश्रा)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

विभाग का नाम- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ
मा० न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

क्र० सं०	संगठन	माह जनवरी 2012 से माह अगस्त 2021 तक उच्च न्यायालय में योजित (लम्बित) वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह अगस्त, 2021 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष है।			अभियुक्ति
		इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	1	19	20	1	19	20	0	0	0	
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	0	11	11	0	10	10	0	1	1	
3	मु०अ०, अनु० एवं नियो० (बाढ), लखनऊ	0	4	4	0	4	4	0	0	0	
4	मु०अ०, अनु० एवं सम० वा० सहा० लखनऊ	3	7	10	3	7	10	0	0	0	
5	मु०अ०, अनु० एवं मूल्यांकन लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	107	24	131	95	22	117	12	2	14	
7	मु०अ० शारदा सहा० लखनऊ	59	216	275	50	142	192	2	18	20	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में तथा मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 56 वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (07+56=63)
8	मु०अ०, मध्य गंगा, अलीगढ़	163	25	188	163	25	188	0	0	0	
9	मु०अ०, सरयू-1, अयोध्या	3	121	124	3	114	117	0	2	2	1- 02 वाद में सी०ए० दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 2- 03 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी०ए० दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	89	12	101	73	12	85	3	0	3	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 13 वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
11	मु०अ०, परि० वेतवा, झांसी	103	12	115	87	11	98	16	1	17	
12	मु०अ०, जल संसाधन, लखनऊ	4	4	8	4	3	7	0	1	1	
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	143	15	158	139	14	153	4	1	5	
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	21	126	147	19	118	137	2	6	8	मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में 02 वादों में प्रतिशपथ दाखिल किये जाने की आवश्यकता नहीं।
15	मु०अ०, बाणसागर, प्रयागराज	21	3	24	20	3	23	1	0	1	
16	मु०अ०, सोन, वाराणसी	227	22	249	203	20	223	22	2	24	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 02 वादों में प्रतिशपथ दाखिल किये जाने की आवश्यकता नहीं।

17	मु0अ0,सरयू-2, गोण्डा	34	38	72	30	34	64	4	4	8	
18	मु0अ0, बेतवा, झांसी	40	8	48	40	8	48	0	0	0	
19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	9	0	9	0	0	0	9	0	9	
20	मु0अ0कनहर, मिर्जापुर	25	1	26	24	1	25	1	0	1	
21	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
22	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0सं0 लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
23	मु0अ0, यमुना ओखला नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी, ओखला, नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य है।
25	मु0अ0, नलकूप मध्य, लखनऊ	33	147	180	33	142	175	0	5	5	
26	मु0अ0, नलकूप वाराणसी	139	24	163	134	23	157	5	1	6	
27	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	38	133	171	36	131	167	2	2	4	
28	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	172	112	284	169	108	277	3	4	7	
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	38	20	58	29	15	44	2	3	5	07 वार्दों मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एवं 02 मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
30	मु0अ0, अनु0 एवं नियो0, अलीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	मु0अ0, अनु0 एवं नियो0, अयोध्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1472	1106	2578	1355	988	2343	88	53	141	29 वार्द मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 65 वार्द मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 29+65=94

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि0 प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिसासी अभियन्ता (वि0 प्र0)

(राजेश मिश्रा)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

